उपसंहार
उपसंहार

‘मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन’ शीर्षक के अंतर्गत पिछले चार अध्यायों में इस आंदोलन के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन मुख्यतः तीन अवस्थाओं पर आधारित है— आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन का घटनाक्रम तथा आंदोलन के परिणाम। प्रथम दो अवस्थाओं का तथ्यात्मक अन्वेषण इन चार अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है तथा दूसरी अवस्था पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

जैसा कि डॉ.ई.एू. बेकर ने अपने ग्रंथ, ‘बैंसिंग लॉडर्शिप इन ए बैंस-लिंगुअल प्राविंस : द सेव्टूल प्राविंसेस एण्ड बरार 1919-1939’ में उल्लेख किया है कि मध्यप्रांत में स्थित समानांतर दो पर्वतमालाय—विन्ध्य तथा सतपुड़ा— दो प्रमुख क्षेत्र निर्मित करने के लिये उत्तराखंड थे जो भारतीय तथा जातिगत पृष्ठभूमि की ओर संकेत करते हैं। मध्यप्रांत के उत्तरी जिलों की जनसंख्या बुंदेलखंड मंदरा तथा गंगा की घाटी से आप्रवासित होने के कारण हिंदी भाषी हैं, तो दक्षिणी जिलों की जनसंख्या मराठा शासनकाल में महाराष्ट्र से आप्रवासित होने के कारण माराठी भाषी बन गई। ऐतिहासिक हीट से भी देखा जाते हैं, उत्तरी जिले 1818 से ही सागर नर्मदा क्षेत्र के नाम से ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रवासित रहे हैं तो दक्षिणी जिलों के विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में हुआ। अतः दोनों प्रदेशों के विकास का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यही कारण था कि 1857 का महाविद्रोह उत्तरी जिलों अर्थातः सागर नर्मदा क्षेत्र में अत्यधिक तीव्र था तथा दक्षिणी जिलों अर्थातः नागपुर क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ में इसकी गति अत्यंत धीमी थी। इन बिन्दुओं के बावजूद भी सागर नर्मदा क्षेत्र तथा नागपुर प्रदेश को मिलाकर 1861 में एक नया प्रांत ‘मध्यप्रांत’ बनाया गया। यह कार्य ब्रिटिश शासन की प्रशासकीय सुविधा के लिये ही न केवल न्यायविचार सिद्ध हुआ, अपितु मध्यप्रांत के भारत के केन्द्र में स्थित होने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर चलनेवाली सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का सीधा प्रभाव इस प्रदेश पर पड़ता रहा।
मध्यप्रांत के राजनीतिक जागरण में अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का योगदान रहा। विद्या प्रसारक मंडल, हितकारिणी सभा, विद्याविभिन्न सभा, महाजन सभा अंजुमन इत्यादिया जैसी संस्थायें प्रदेश के प्रमुख नगरों में स्थापित होती रही जिन्होंने लोगों को शिक्षित करने के अतिरिक्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया। इस प्रकार सामाजिक सुधारों के मध्य से राजनीतिक चेतना का मार्ग प्रस्ताव होता गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा इसके साथ अधिवेशन का 1891 में नागपुर में होना एवं तत्कालीन अधिवेशन का 1897 में अमरावती में होना मध्यप्रांत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। कांग्रेस के अधिवेशनों में मध्यप्रांत के प्रबुद्ध प्रतिनिधियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या से यह स्पष्ट था कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस प्रदेश में परीक्षण राजनीतिक जागरण हो चुका था। इसी के साथ उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद से भी मध्यप्रांत अबूझ नहीं रहा। चूंकि इस प्रदेश की सीमाएं महाराष्ट्र तथा बंगाल से लगी हुई हैं, जो उग्रवादी राजनीति के प्रमुख गाड़ थे, तो यहाँ उग्रवादी राजनीति का प्रादुर्भाव एक उल्लेखनीय कड़ी कहा जा सकता है। उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण ही मध्यप्रांत में बंगाली निरोधी वोक्स कोर्ट व स्वदेशी आंदोलन तथा होमरूल आंदोलन में लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। यह भी उल्लेखनीय तथ्य सामने आता है कि मध्यप्रांत का उत्तरी भाग कांग्रेस की नसरपंथी राजनीति तथा दक्षिणी भाग उग्रवादी राजनीति से विशेष प्रभावित रहे।

भारतीय राजनीति में महात्मागांधी के पदार्पण के पश्चात उनके नेतृत्व में कांग्रेस का प्रथम जन आंदोलन अर्थात् असहयोग आंदोलन मध्यप्रांत के लिये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था कि दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को नसरपंथियों तथा उग्रवादी दोनों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। इस अधिवेशन के पूर्व तथा बाद में गांधी जी के मध्यप्रांत के अनेक भागों का दौरा कर भारी जनसमर्थन प्राप्त किया। परिप्रेक्ष्य असहयोग आंदोलन से लेकर सरकारी अवधारणा आंदोलन तक मध्यप्रांत के विभिन्न स्थानों जैसे बकीला, शिलक, विद्यापी, कृष्ण, श्रमिक, महिलायें तथा जनजातियों का समर्थन प्राप्त होता रहा। कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में मध्यप्रांत की
राजनीति पर महात्मा गाँधी का प्रभाव बढ़ता गया, जो भविष्य में होने वाले आंदोलनों में परिलक्षित हुआ।

वास्तव में, 1920 के पश्चात मध्यप्रांत की राजनीति में गाँधीवादी विचारधारा तथा तिलकवादी विचारधारा के बीच संघर्ष देखने की मिलता है। गाँधीवादी विचारधारा में अहिंसा के अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता का महत्व था तो तिलकवादी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद की भावना विद्यमान थी। फिर भी कांग्रेस से जुड़ा बहुसंख्यक वर्ग गाँधीवादी विचारधारा के प्रभाव में था, क्योंकि वह गाँधी जी के रूप में यह महसूस करता था कि वे उनके नेतृत्व में ही भारत को स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। अतः अधिक लोग कांग्रेस से जुड़कर गाँधीवादी विचारधारा के प्रभाव में आ गए थे। यह कहा जा सकता है कि 1920 के पश्चात के कांग्रेस के समस्त जन आंदोलन गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे अथवा गाँधी जी के नेतृत्व में हुई थे।

गांधी जी के नेतृत्व में 1920-22 के असहयोग आंदोलन तथा 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगली कड़ी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन थी, जिसे उन्होंने 1940 तथा 1941 के वर्षों में दो चरणों में संचालित किया गया था। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम भाग शासन अधिनियम 1935 के पारित होने के समय से रखी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार मध्यप्रान्त व बंगाल को अन्य दस प्रान्तों के साथ प्रथम वर्ग में रखा गया, जो गवर्नर-शासित था। गवर्नर को उन शासन में सहायता करने के लिये एक मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था थी। गवर्नर की निर्देश दिया गया था कि वह प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के अधिकतम तिहार की सहायता के साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार गठित किये मंत्रिमंडल को प्रान्त के प्रशासन में स्वातंत्र्य प्रदान की गई थी। तथापि यहाँ एक ओर भारत शासन अधिनियम 1935, ने प्रान्तों को स्वातंत्र्य प्रदान की दी, दूसरी ओर इसे छीनने का प्रयास भी किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन संबंधी अपने किसी भी अधिकार का त्याग नहीं किया था, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में ठोस बहुत विरोध किया था। कांग्रेस ने इस अधिनियम को इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का विचार था कि भारत में इसी अर्थ में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो,
जबाबक भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारतीय राजस्व, सेना, विदेश नीति तथा भारत में इंग्लैंड के हितों का नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में रहने दिया। अतः कांग्रेस ने अप्रैल 1936 में तख्तापुर में हुए अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर भारत शासन अधिनियम 1935 को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।

यद्यपि कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम अस्वीकार कर दिया, तथापि कांग्रेस कार्य-समिति ने अक्टूबर 1936 में विधानसभा चुनावों में भाग लेने का निर्देश दिया। अधिनियम के अस्वीकृत करने तथा चुनावों में भाग लेने के प्रमुखवादी निर्णय जवाबदेह नेहरू की अध्यक्षता में ही लिये गये। कांग्रेस ने एक घोषणापत्र जारी कर भूमिवास्तव में सुधार, राजस्व में कमी, कृषि को कर्ज से मुक्ति आदि के आश्वासन देकर मध्यप्रांत विधानपरिषद के 112 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 70 स्थान पर विजयी होकर बहुपत्र प्राप्त किया। यह बहुमत मध्यप्रांत में कांग्रेस की लोकप्रियता का तो प्रमाण था ही, अतः लोगों में गौरी जी के प्रति कितनी आस्था थी इसका भी प्रदर्शन था। उस समय मध्यप्रांत में कांग्रेस महाकोशल कांग्रेस समिति तथा नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी एवं बार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों में विभाजित थी तथा यह विभाजन निर्णय ही भारतीय आदर्श का था। मराठी क्षेत्रों की तुलना में महाकोशल कांग्रेस क्षेत्र में कांग्रेस की अधिक स्थान भी प्राप्त हुये थे। इस दृष्टांत से हिंदी भाषी क्षेत्र से विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए था, परंतु सेठ गोविंददास तथा द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा महाकोशल क्षेत्र के विषय कांग्रेस नेता रविशंकर शुक्ला का विरोध किया जाने से मराठी भाषी क्षेत्र के नेता डॉ. नारायण भास्कर खरे को नेता चुना गया। तदनुसार डॉ.एस.बी. खरे के नेतृत्व में मध्यप्रांत में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई 1937 को पदभार प्रदान किया।

इस मंत्रिमंडल में डॉ. नारायण भास्कर खरे प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री, रविशंकर शुक्ला शिक्षा मंत्री, द्वारका प्रसाद मिश्र विद्यालयी शासन मंत्री, आर.एस. देशमुख लोक निर्माण मंत्री एम.वाय. शाहीफ विधि मंत्री, डॉ.मेहता, वित्त मंत्री तथा बी.बी. गोले राजस्व मंत्री नाम ही गये। इस मंत्रिमंडल ने अपनी अन्यायत्व के कार्यकाल में महात्मा गौरी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के आधार पर ‘विधायिक योजना’ लागू कर शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलणीय कार्य किया। यह योजना स्वतंत्री थी, जिसमें पाठ्यालापों की स्थापना गौरे के लोगों द्वारा दान की गई भूमि
पर तथा उनके सहयोग से की जाती थी तथा विद्वानों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की बस्तुओं का 
विक्रय कर शाला का खर्च पूरा किया जाता था। इस योजना की लोकप्रियता का अंदरज इसी 
तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1939 के अंत तक मध्यप्रान्त में लगभग सी दिवामंदिर 
स्थापित किये गये थे, जिनमें 2500 विषार्थी शिखा ग्रहण कर रहे थे।

शीघ्र ही महाकोशल क्षेत्र के मंत्रियों के साथ मतभेद होने तथा जिन कांग्रेस हाई कामन 
की अनुमति के मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने के फलस्वरूप डॉ. एन.बी. खरे को 25 जुलाई 
1938 को ल्यागपत्र देना पड़ा तथा उनके स्थान पर 29 जुलाई को रविशंकर कुलका के नेतृत्व 
में कांग्रेस के द्वितीय मंत्रिमंडल ने कार्यभार ग्रहण किया। इस मंत्रिमंडल में रविशंकर कुलका 
प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री, द्वारा प्रसाद मिश्र स्थानीय शासन मंत्री, डी.के. मेहता, विजय 
विधि मंत्री, सी.जे. भरज्जा, लोक निर्माण मंत्री एस.बी. गोखले राजस्थान एवं शिखा मंत्री थे। रविशंकर 
कुलका ने: संदेह एक परिपक्व राजनीतिज्ञ तथा उस समय की राजनीति के ‘टार्टलिंग पर्सनलिटी’ 
थे। उनके कार्यकाल में प्रायः महत्वपूर्ण निर्माण निर्मित की अनौपचारिक बैठकों में होने थे तथा 
गवर्ण के साथ औपचारिक बैठकों में एक संगठन टीम के समान मंत्रिमंडल कार्य करता था, 
जिमें अधिकतर रविशंकर कुलका मुख्य चक्कर होते थे। इस मंत्रिमंडल के कार्यकाल में यथापि 
मध्यप्रान्त में कृषि क्रियात्मक तथा जंगल सत्याग्रह जैसी घटनायें हुईं, तथापि अनेक 
लोकल्याप्तन कार्य किये गये। विशेषकर विधानसभा में विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा इस जनता 
ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति की आत्मचार की। एक मुख्य घटना मार्च 1939 में 
गिरफ़्तार में कांग्रेस का बाह्यवां अधिवेशन थी। इस अधिवेशन में गांधी जी के प्रत्याशी डॉ. 
पटाकिस्सीराम मेहता के नेतृत्व के साथ भाषाचंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 
अधिवेशन के पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी बैठक में यूरोप में बढ़ रहे तनाव पर बिंदा व्यक्त 
करते हुये इंग्लैंड की बिदेशी नीति की निंदा की। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह 
संकल्प लिया कि वह भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हुए साधारणवाद तथा पासिस्टवाद से 
अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करेगी। समूंे अधिवेशन में कांग्रेस 
के दक्षिणपथियों तथा नामपथियों में संघर्ष के चलते हुए तथा महात्मा गांधी के विरोध को 
देखते हुये सुभाषचंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से ल्यागपत्र देकर एक
यथा दल फारवर्ड ब्लैक की स्थापना की।

एक और जहाँ वर्ष 1939 में कांग्रेस में आंतरिक उठापटक का वातावरण बना हुआ था, कांग्रेस के भीतर वामपंथियों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय विष्टित में युद्ध के बाद मंडरा रहे थे। इंग्लैंड के द्वारा म्यूनिक समझौते के अनुसार चेकस्लोवाकिया का स्पुडेटनलैंड प्रदेश जर्मनी को दिये जाने तथा इस प्रकार हिटलर को संतुष्ट करने के बावजूद जर्मनी ने मार्च 1939 में चेकस्लोवाकिया को हड़प्पा लिया। अब हिटलर की साम्राज्यवादी दृष्टि पोलैंड पर थी पोलैंड पर जर्मन आक्रमण की संभावना रोकने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड को सहायता का आवश्यक दिया और जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 का पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो इंग्लैंड और फ्रांस को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार, इंग्लैंड के द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रवेश कर दिया ही उसने भारत को भी इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। चूँकि कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वातन्त्र्य की घोषणा करने के साथ ही साम्राज्यवादी और फाॅस्टवाद दोनों का खुलकर निरोध करना प्रारंभ कर दिया था, उसके लिए विभाग भारतीयों की अनुमति के इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल किये जाने का निरोध करना स्वाभाविक था। युद्ध की घोषणा के तत्काल बाद 8 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्ष में बैठक लेकर यह निर्णय लिया कि लोकतांत्रिक स्वाधीनता के नाम पर लड़े जाने वाले किसी भी युद्ध में भारत हार नहीं बंदा सकता जबकि उसे वैसी ही स्वाधीनता से बचत किया गया हो। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से अपने युद्ध संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की। इस पर भारत के नायाबसाह लाई इन्टर्वियरो ने 17 अक्टूबर को यह घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति पर ही भारत को अधिराज की स्थिति अर्थात दोमिनियन स्टेट्स देने के संबंध में विचार किया जायेगा। इस दिल्ली घोषणा को कांग्रेस कार्यसमिति ने पूर्वतया अस्तोत्सवविद्वत्ता बताते हुए ब्रिटिश सरकार को युद्ध कार्य में मदद करने से इंकार कर दिया। मध्यप्रांत विधानपालिका ने भी 4 नवंबर को प्रधानमंत्री रवि शंकर शूकर द्वारा रखा गया वह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया, जिसमें भारतीयों से पूरी तरह भारत को इंग्लैंड और जर्मनी के बीच चल रहे युद्ध में शामिल करने पर प्रेरण फ्रैंक फ्लिया गया।
यह उल्लेखनीय है कि सुभाषचंद्र बोस द्वारा स्थापित फारवर्ड ब्लाक ने युद्ध के प्रश्न को तेजी से ब्रिटिश सरकार का सीक्षण निरोध प्रारंभ कर दिया था। फारवर्ड ब्लाक के नेतृत्व में गठित विभिन्न वामपंथी दलों के संगठन ‘द लेफ्ट कंसालिटेशन कमेटी’ ने 31 अगस्त से 6 सितंबर 1939 तक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय संघर्ष सत्ताह का आयोजन कर इस बात का प्रचार किया कि इंग्लैंड को भारत की ओर से कोई सहायता न दी जाये। इस अवधि में फारवर्ड ब्लाक ने मध्यप्रांत के नागपुर, वर्षा, बिलासपुर, अकोला, सुरहानपुर आदि नगरों में जनसभायां आयोजित कर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि युद्ध के कारण इंग्लैंड को हो रही कठिनाइयों का लाभ उठाते हुये भारत की स्वतंत्रता के लिये प्रयास किये जाये। वामपंथी दलों ने 8 एवं 9 अक्टूबर को नागपुर में सागाराजवाड़ विरोधी रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रमिकों ने भाग लिया। यहाँ तक फारवर्ड ब्लाक के नेताओं ने मध्यप्रांत के विभिन्न जिलों में घूम-पूर्क किसानों को ब्रिटिश सरकार को कर अड़ा न करने के लिये प्रेरित किया। सबसे अधिक जनासंगीत वैटूला जिले में दिखाई दिया, जहाँ फारवर्ड ब्लाक के प्रभाव से विधायक विहारीलाल तथा आनंद राव लोखंडे ने गाँव-गाँव में घूमकर वहाँ की गोंड जनजाति को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भक्ति दिखाया। इसके द्वारा 'इंकलाब जिवालबाद' के रूप से वितरित किये गये तथा अनेक सभायों लेकर गोंड पुलिस और महिलाओं को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। 24 मई को गेदानालाल गोंड ने जीवाचे-वैटूला मार्ग पर रेलगाड़ी की जंगी खाँचकर उसे रोकने का साहसिक कार्य किया, जिसके लिये उन्हें दो-दो वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया गया।

वामपंथी दलों की तुलना में कांग्रेस ने विरोध की पृथक रणनीति अपनाई। 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय की दिल्ली घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्षा में 22 एवं 23 अक्टूबर को बैठक आयोजित कर वायसराय के बयान पर असंतोष व्यक्त करते हुये यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के युद्ध कार्य में किसी प्रकार का सहयोग नहीं देगी, क्योंकि ऐसा सहयोग सागाराजवाड़ी राज्य को दिया जाननेवाला समझा जायेगा। अतः कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग न देने के कारण कटने के रूप में कांग्रेस मंत्रिमंडलों से व्यापार देने का विरोध किया। इस विरोधकारण मध्यप्रांत में राज्यहीन के नेतृत्व में कार्यालय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने
8 नवम्बर 1939 को गवर्नर सर फ्रॉसिस बाली को अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसे दो दिन बाद स्वीकार कर लिया गया। मध्यप्रांत सहित अन्य कांग्रेस शासित प्रान्तों में मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना कांग्रेस की ओर से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भविष्य में प्रारंभ किये जानेवाले किसी आंदोलन का पूर्व संकेत था।

जैसा कि अपेक्षित था, कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की मध्यमांत में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। 7 नवम्बर 1939 को जबलपुर नगर में आयोजित मजदूर संघ की सभा में वक्ताओं ने मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिये धण्यवाद दिया अपेक्षा की कि जल्द ही साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध में आंदोलन किया जायेगा। इसी प्रकार 16 दिसंबर को अमरावती में हुई एक जनसभा में ही विश्व लोग ने भी कहा कि यदि भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से तत्काल गुद्दा करना हो तो आंदोलन किया जाना चाहिये। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने के बाद और विशेषकर मध्यप्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद मध्यमांत में न केवल जनसंस्तोष बढ़ रहा था, अपितु लोग कांग्रेस द्वारा जनआंदोलन की प्रतिक्रिया कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कांग्रेस के भावी आंदोलन का संचालन करने की प्रार्थना की गई।

जैसे-जैसे यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध में भिड़ियों की स्थिति खराब हो रही थी, भारत की ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के सहयोग की उलटी ही तीव्र आवश्यकता महसूस हो रही थी। अतः वायसाय लार्ड लिन्डलिथवो ने भारत सचिव अमेरिका से पत्र यथार्थ कर 8 अगस्त 1940 को यह घोषणा की कि गवर्नर-जनरल की कार्यवांशी का तत्काल विषया कर भारतीय सदस्यों के सहयोग से एक युद्ध परिषद गठित की जायेगी तथा युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान बनाने के लिये एक संविधान सभा का निर्माण किया जायेगा। इस घोषणा में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्र रहेगी। ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक संविधान में अन्यसंस्थाओं की सुरक्षा की गारंटी के प्रावधान नहीं होगे इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह घोषणा तत्कालिक रूप से भारतीयों को संतुष्ट
कर उनसे युद्ध कार्य में सहयोग लेने के लिये की गई थी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस कार्यसमिति ने 15 सितंबर 1940 को बंबई में हुई बैठक में इसे पूर्वानुमान अथवाहारिक तथा भारतीयों की आशा की विपरीत बताकर उसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव ने कांग्रेस को इतना उद्देश्य कर दिया कि वह अब गांधीजी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने को तैयार हो गई। मध्यप्रान्त म बारे विधानसभा के 53 सदस्यों की घनस्थापासंह गुप्त के अध्यक्ष में 10 सितंबर 1940 को नागपुर में हुई बैठक में भी अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों के लिये असंतोषजनक बताते हुये ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के साथ समझौता न करने की निंदा की गई।

अब कांग्रेस के लिये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष अभिव्यक्ति हो गया। मार्च 1940 में रायगढ़ में हुये अधिवेशन के पश्चात् कांग्रेस ने सत्याग्रह के लिये तैयारियाँ प्रारंभ कर दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गाहीजी की अहिंसा की नीति में पूर्ण विश्वास व्यक्त कर दिये जाने से आंदोलन का मार्ग प्रत्यक्ष हो गया। उसके पूर्व ही 11 अप्रैल 1940 को महाकाश्यल कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह का प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण शिविर लगाये जायें। तदनुसार ज़िला तथा तहसील स्तरों पर सत्याग्रह की तैयारी प्रारंभ हो गई। सत्याग्रह की तैयारी में कांग्रेस कार्यकर्ता जिस उत्साह से भाग ले रहे थे वह सराहनीय था। प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी को सत्याग्रह समिति में परिवर्तित कर दिया गया। गांधी जी का भी यही निर्देश था। सत्याग्रहियों से शामथन्त्र भाग जाने लगे तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अप्रैल से जून 1940 तक समूहों ने महाकाश्यल क्षेत्र के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में शिविर लगाकर सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण दिया गया। महाकाश्यल की तरह नागपुर कांग्रेस कमेटी ने भी ज़िला कांग्रेस कमेटियों को सत्याग्रहियों की भली करने तथा उसें प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। सबसे अधिक सत्याग्रही नागपुर जिले में भारतीय हुये जिनकी संख्या 276 थीं, जबकि सबसे कम सत्याग्रही बालाघाट जिले में भारतीय हुये जिनकी संख्या केवल सात थी। महाकाश्यल क्षेत्र की तरह नागपुर क्षेत्र के प्रत्येक जिले में सत्याग्रहियों की भली ओर प्रशिक्षण का कार्य जारी था। प्रशिक्षण शिविरों में सत्याग्रहियों की युद्ध कार्य में सहयोग न देने और न फोर में भागी होने के लिये सामान्य लोगों को तैयार
यह प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की समूही तैयारी होने के पश्चात् कांग्रेस कार्यकर्ता
इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि गांधीजी कब इसके प्रारंभ करने की अनुमति दें। सभी ओर
आंदोलन के लिए उल्लभ था, किन्तु गांधी जी की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता
था। रामगढ़ में हुये अधिवेशन के समय ही कांग्रेस ने आंदोलन की बागडाड़ी गांधी जी को सीमा
की थी। गांधी जी ने भी स्वप्न कर दिया था कि एक कमांडर के रूप में जब वे अनुमति देंगे
तभी सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी अभी भी
यह आशा लगाये हुये थे कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांग स्वीकार कर लेगी और संघर्ष का
प्रत्या अपनाना नहीं पड़ेगा। यह भी संभव था कि वे युद्ध की घड़ी में कोई जनआंदोलन प्रारंभ
कर इंग्लैंड की सरकार को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। उनकी पूरी सहानुभूति इंग्लैंड
के साथ थी जो तमाम कोठनाईयों के बावजूद नाजीवाद के विरुद्ध अकेला संघर्ष कर रहा था,
जबकि उसके सहयोगी देशों ने फ्रांस, बेल्जियम आदि का एक के बाद एक पतन हो रहा था।
ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता का मार्ग निकालने के उद्देश्य से गांधीजी ने शिमला जाकर
वायसराय लाई लिन्डलिथो से मिलने का निर्णय किया। 15 अक्टूबर 1940 को उनकी
वायसराय से भेंट भी हुई, परन्तु समझौते के प्रति ब्रिटिश सरकार के आड़ियल रखें वे कालस्वरूप
शिमला से वापस लौटते हुये गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ
करने का अंतिम निर्णय किया। उनके इस निर्णय के साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन
का श्रीगणेशा हो गया।
महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्रियान्वयन दो चरणों में किया। प्रथम चरण में 17 अक्टूबर से 24 दिसम्बर 1940 तक की अवधि में गांधीजी द्वारा चुने हुये व्यक्तियों को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की अनुमति दी गई। इनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य, केंद्रीय विधानसभा तथा राज्यविधानसभाओं के कांग्रेसी सदस्य तथा गांधीजी जी द्वारा चुने हुये, कुछ अन्य लोग शामिल थे। गांधीजी ने पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना। उन्होंने मान्यता भी कि विनोबा न केवल अहिंसा के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखते थे अपितु उनमें सत्याग्रह के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना थी। गांधीजी के अनुयायी के रूप में विनोबा द्वारा वर्ष 1941 के निकट पत्रकार में आदर्श का संचालन करते थे। गांधीजी के निर्देशानुसार विनोबा जी ने 17 अक्टूबर को प्रातः सेवाग्रह आदर्श से सत्याग्रह प्रारंभ किया तथा उसी दिन शाम को वर्षा में एक बड़ी सम्मेलन को युद्धविरोधी भाषण दिया। दो दिन पश्चात् सरकार ने उन्हें बंदी बनाकर भारत रक्षा कानून की धारा 34(5) के अधीन छ: महत्त्वकर्ता कारावास की सजा दी। भावे द्वारा प्रारंभिक कार्य गया व्यक्तिगत सत्याग्रह समूहे देश में इस आंदोलन के प्रारंभ होने के संकेत था। उसके पश्चात् दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुने गये जवाहरलाल नेहरू को सत्याग्रह करने से पूर्व उत्तरी प्रांत में गिरफ्तार किये जाने के
फलस्वरूप गांधीजी ने सेवाग्राम आश्रम के एक निवासी बृहदत राय को दूसरा सत्याग्रही चुना। इस्तेमाल किया गया है कि गांधी जी द्वारा चलनित पहले और दूसरे सत्याग्रही ने सेवाग्राम से सत्याग्रह प्रारंभ कर मध्यप्रांत से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का सुरूवात किया। इस प्रकार मध्यप्रांत के दिनों यह गोरख जी के बाद नवीनता स्वरूप पर यहाँ से व्यक्तिगत आंदोलन का प्रारंभ हुआ, अर्थात् गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम से इसका संचालन किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रांत राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहा।

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण में मध्यप्रांत के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य, मध्यप्रांत विधानपरिषद के कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेस कार्यकर्ता तथा अन्यक भारतीय विधायी कमेटी के सदस्यों ने ही सत्याग्रह किया। प्रांत के विभिन्न स्थानों में इसके द्वारा सत्याग्रह करने की सूचना जिला अधिकारियों को दी जाती थी तथा नियत स्थान और समय पर सत्याग्रह किया जाता था। सत्याग्रह मुख्यतः युद्धविरोधी नरेंद्रने तथा भाषण देने तक सीमित होता था एवं यह कार्य उस समय तक चलता था, जब तक सत्याग्रही गिरफ्तार न हो जाये। मध्यप्रांत के पूर्व प्रधानमंत्री रविशंकर शुक्ला ने 21 नवम्बर 1940 को राजपुर में सत्याग्रह करने की घोषणा की, परंतु सरकार ने समय से पूर्व उन्हें गिरफ्तार कर भारत रक्षा कानून की धारा 26(1) के अंतर्गत उन्हें एक वर्ष के लिये नजरबंद कर दिया। अन्य पूर्व मंत्रियों द्वारा प्रसाद मिश्र ने जबलपुर में, डी.के. मेहता ने सिवनी में, सी.जे. भरुच्छा ने नागपुर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा कानून की धारा 38(5) के अंतर्गत छ-छ: माह के कठोर कालाबाज का दंड दिया गया। 17 नवम्बर 1940 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जमानालाल बजार ने वर्ष में सत्याग्रह किया। इसके अतिरिक्त मध्यप्रांत विधानपरिषद के अनेक विधायकों ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। महाकालिक राजद्रोही कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेठ गोपिनाथ तथा नागपुर प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपालराव काले भी क्रमशः जबलपुर और नागपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह में सक्रिय रहे। इस अवधि में प्रमुख सत्याग्रही थे ठाकुर चौदहराज, पश्चिमयामिंद्र गुप्त, गोपाल बाबारिया, सरदार अमरसिंह सहगल, रामसर अनिलभाग, एस.वी. गोसाई, द्वारकाप्रसाद मिश्र, दादामोहन गोयन, श्रीमती प्रभातलाल ओक, अ.पी. पाण्डे, महता नामदेव सतनामी, हुमायूँ
इन सत्याग्रहियों के प्रयास मध्यप्रांत के बड़े नगरों में जनसभाओं को संबंधित कर युद्धविरोधी भाषण दिये। इन्हें सुनने के लिये तीन हजार से पाँच हजार तक लोग एकत्रित होते थे। कहाँ कहाँ सत्याग्रहियों ने साताक्षिक बाजारों तथा मेलों के अवसर पर लोगों को संबोधित किया। सत्याग्रह में पुरुषों के अतिरिक्त महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया। सत्याग्रहियों द्वारा जनसभाओं में ब्रिटिश सरकार के युद्ध कार्यों में जनता से सहयोग न देने का आवंतित किया जाता था। कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा फिर गये सत्याग्रह के कारण ब्रिटिश सरकार के समस्त कानूनी और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। सत्याग्रहियों द्वारा युद्धविरोधी नगरों में लगाए गए परीमाण स्थल लोगों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। क्योंकि वह सत्याग्रह गांधीजी द्वारा संचालित किया गया था अतः जनभावना इसके साथ अपने आप जुड़ती गई। कहना न होगा कि सीमित होने के बावजूद व्यक्तिगत सत्याग्रह ने अपने प्रथम चरण में एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया था।

ब्रिटिश शासन की ओर से व्यक्तिगत सत्याग्रह से निपटने के लिये एक व्यापक योजना तैयार की थी। सर्वप्रथम, सरकार ने व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया। मध्यप्रांत में प्रत्येक जिले में नियुक्त प्रेस एड्वायजर की अनुमति के बिना कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। गांधीजी ने इस नीति के विरोध में अपना 'हिंदी' समाचारपत्र 'कृष्ण' ने भी अपना प्रकाशन बंद कर दिया। खण्डवा से प्रकाशित समाचारपत्र 'कर्मीवीर' ने भी अपना प्रकाशन बंद कर दिया। अन्य समाचार पत्र सरकारी नीति का पालन करते थे। मध्यप्रांत शासन की ओर से प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों की प्रेस कॉफिंस आयोजित कर सत्याग्रह के संबंध में सूचनायें दी जाती थीं। प्रेस पर प्रतिबंध के अतिरिक्त बंद्रा सरकार ने प्रान्तों से साताक्षिक प्रिपोर्ट बुलाने की नीति अपनाई। सत्याग्रह से संबंधित
महत्वपूर्ण व्यक्तियों या घटनाओं की जानकारी प्रांतीय सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को तार द्वारा प्रेषित की जाती थी। केन्द्र सरकार के गृह विभाग के अधीन खुफिया तंत्र को भी सत्याग्रह की सूचनाओं का लेखन कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण नीति सत्याग्रहियों को गिफ्टस रूप से उन्हें भारत का रक्षा का अधिन रहाएँगे के अधीन कारावास का दंड देने को रही। विभिन्न भाग भे से लेकर प्रांतीय विभाग तथा कार्य, क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति सत्याग्रह को लेकर तत्काल गिफ्टस दिखले जाते तथा उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध विरोधी भावनाये भड़काने का आरोप लगाकर विभिन्न अधिक के कारावास का दंड दिया जाता था।

मध्यप्रांत के पूर्व प्रधानमंत्री रवींद्र लुप्त को सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिये नजरबंद कर दिया। सरकारी प्रतिबंधों में भले ही व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रभावित होने बताया जाता था, फिर भी सरकार की ओर से की जाने वाली बड़े पैमाने पर गिफ्टस दिखले इस बात का प्रभाव था कि सरकार इस आंदोलन को लेकर काफी गंभीर थी। साधारण जनता पर गंधर्वी के प्रभाव तथा स्थानीय विधिकों की लोकप्रियता को सरकार अनदेखा नहीं का सकती थी। यह कहना उचित नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में कितना सफल रही, परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार का शक्तिशाली तंत्र अपने पूरे सामर्थ्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने में लगा हुआ था और शायद यही व्यक्तिगत सत्याग्रह की सफलता का एक प्रमुख तथ्य था।

व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का द्वितीय चरण पूर्व की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रभावशाली था। इस चरण में सिलिए एवं तहसील कॉंग्रेस दलों के साथ समस्त में साधारण कॉंग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में भाग लिया। मध्यप्रांत के प्राथमः सभी जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा गाँवों में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो गये। ऐसे विधायक अथवा प्रांतीय कॉंग्रेस कमेटी के सदस्य, जिन्होंने अपनी तक सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, इस आंदोलन में समर्थित होने लगे। इस चरण में सत्याग्रह की एक विशेषता यह देखी गई कि बड़ी संख्या में सत्याग्रही अपने गांवों से पैदल यात्रा करते हुए अपने सत्याग्रह करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते थे। सरकार द्वारा उन्हें मध्यप्रांत के सीमावर्ती जिलों होंगामावाद तथा सागर में गिफ्टस कर उन्हें वापस उनके क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता था। इसके बावजूद भी सत्याग्रहियों का उससाह लगातार बढ़ता जाता
था। जुलाई 1941 के अंत तक सीमावर्ती जिलों में दिल्ली की ओर जाने वाले सत्याग्रही, जिन्हें गिफ्टर किया था, उनकी संख्या 784 तक पहुँच चुकी थी। इससे शासन को होशंगाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में सत्याग्रहियों का दबाव झेलना कठिन होता जा रहा था। इस दबाव को दूर करने के उद्देश्य से मध्यप्रांत शासन ने यह नीति अपनाई कि सत्याग्रहियों को संयुक्त प्रांत की सीमा में प्रवेश करने दिया जाये तथा वहाँ की सरकार द्वारा उन्हें गिफ्टर होने दिया जाय।

यह इस बात का प्रमाण था कि दिल्ली की ओर पैदल यात्रा करने वाले सत्याग्रहियों को रोकने में मध्यप्रांत प्रशासन स्वयं को असहाय महसूस कर रहा था। दिल्ली की ओर जाने वाले सत्याग्रहियों में अनेक लोग ऐसे थे जो इंदौर तथा भोपाल रियासतों से मध्यप्रांत में आकर सत्याग्रह करते थे। अनेक सत्याग्रही मद्रास प्रेसिडेंसी के होटे थे, जिन्हें गिफ्टर कर उन के प्रदेश में भेज दिया जाता था। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन एक जनआंदोलन बन चुका था।

ब्रिटिश सरकार ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय चरण के लिए अपनी पूर्व नीति में घोड़ा-सा परिवर्तन किया था। जेलों में सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए यह निरंतर किया गया कि सत्याग्रहियों पर अर्थव्यवस्था लगाया जाये तथा इस प्रकार उनें होलसाहित किया जाये। इस नीति के संस्करण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों को निर्देशित किया कि वे पहली बार अर्थव्यवस्था देने पर दुर्घट सत्याग्रह करें तथा वह क्रम तब तक चलने दें जब तक कि वे गिफ्टर न हो जायें। शासन की नीति का लाभ उठाकर भंडारा के विधायक ज्ञातिदान ने अनेक बार सत्याग्रह किया तथा गिफ्टर होने पर अर्थव्यवस्था दिया। अंततः सरकार को उनें चौथी बार सत्याग्रह करने पर गिफ्टर कर छह माह के कठोर कारावास का दंड देना पड़ा। महिला सत्याग्रहियों के बारे में सरकार ने यह नीति अपनाई थी कि उनें केवल अर्थव्यवस्था देकर छोड़ दिया जायेंगा, प्रथम बाद में सरकार ने महिला सत्याग्रहियों को भी कारावास का दंड दिया। यह शासन की महिला विरोधी नीति का एक प्रमाण कहा जा सकता है। यह भी देखने में आया कि प्रथम चरण में सत्याग्रह कर गिफ्टर हुए। अनेक सत्याग्रहियों ने दूसरी बार तथा तीसरी बार सत्याग्रह किया। अप्रैल 1941 में विनोबा भावे ने पूनः जेल से छुटने पर उन्होंने अगस्त 1941 में दूसरी बार सत्याग्रह किया और जेल गए। अनेक विधायकों ने भी जेल से छुटकारा आने के बाद दूसरी बार तथा तीसरी बार सत्याग्रह किया था।
तथापि जुलाई 1941 के पश्चात् मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शिखितता आने लगी थी। इसका प्रमुख कारण तो वर्षा घात का प्रारंभ होना था। ग्रामीण क्षेत्रों के सत्याग्रही, जो किसान थे, सत्याग्रह के स्थान पर कृषि कार्य को प्राथमिकता देने लगे थे। दूसरा कारण 1941 में मध्यप्रांत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होना था। इस स्थिति में कृषिकों के लिए यह संभव नहीं था कि वे अपनी रोजी रोटी छोड़कर व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लें। परंतु सत्याग्रह के शिखित होने का सबसे प्रमुख कारण साम्राज्याधिक समस्या भी थी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने तापकार अधिवेशन में मुसलमानों के लिए प्रथम पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का विरोध कर रही थी। अब प्रथम पाकिस्तान की मांग पर दबाव बनाने के उद्देश्य से इसने विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों के अधिकांशों के लिए सम्मेलन और प्रदर्शन प्रारंभ किये। एक और मुस्लिम लीग प्रथम पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन करती थी। दूसरी ओर हिंदू महासभा पाकिस्तान की मांग का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। ऐसी स्थिति में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में टकराव होना निश्चित था। जबलपुर में 1941 के प्रारंभ में मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों द्वारा निकाले गये जुलूस पर पत्रकार फेंकने की घटना से उस नगर में एक जबरदस्त साम्राज्याधिक दंगा हो गया, जिसमें अनेक लोग मरे गए तथा धारक हुए। इसी प्रकार नागपुर में शादंबारीपुरा मस्जिद के सामने से हिन्दुओं द्वारा जुलूस निकाले जाने पर साम्राज्याधिक तनाव उत्पन्न हो गया। जबलपुर तथा नागपुर के अंतिम मध्यप्रांत के अभाव, अकोला आदि नगरों में भी आंदोलन की योजना को काफी नुकसान पहुँचाया। कांग्रेस का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता थी और यही उसके आंदोलन की सफलता का आधार था, परंतु साम्राज्याधिक समस्या ने गंभीर गौरूप्तता अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इतना उद्देश्य कर दिया कि अंततः उन्हें दिसम्बर 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को श्रद्धा करने का निर्णय लेना पड़ा।

नि:संदेह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भारतीय आंदोलन का एक प्रमुख घटनाक्रम है। 1930-34 के सत्यघर अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत के राष्ट्रिय वित्तिक पर जो ठहरे स्थापित हो गया था, उसे व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूर करने का प्रयास किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह केवल जनआंदोलन नहीं था, यह भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना का प्रतिरूप था। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने के बाद जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत को
युद्ध में शामिल किया, उसने भारत की स्वतंत्रता की अवधारणा को झकझोर दिया। कांग्रेस का यह तर्क बहुत उचित था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत की सहायता करना चाहती है तो उसे भारत को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। उसी स्थिति में भारतीय अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे सकेंगे। यदि ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्र अस्तित्व को अस्तित्व करें तो इस युद्ध में भारतीयों को सहयोग नहीं देना चाहिए। महात्मा गांधी, जो भारतीय स्वतंत्रता के चैम्पियन थे, यह बात स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। इसके बावजूद भी गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई व्यापक जन आंदोलन नहीं छेड़ना चहते थे, क्योंकि उनके विचार में इससे ब्रिटिश सरकार के समक्ष कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थी। अतः उन्हें प्रश्न भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना की अभिव्यक्ति के लिए एक वैकल्पिक मार्ग-व्यक्तिगत सत्यग्रह चुना। यह आंदोलन इस संदर्भ में अन्य जनआंदोलनों की तुलना में विशेष कहा जा सकता है कि इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को युद्ध काल में परेशानी में न डालते हुए ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए आग्रह किया जाये। यह एक प्रकार की ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने की गाँधीवादी रणनीति कही जा सकती है।

मध्यप्रांत के लिए व्यक्तिगत सत्यग्रह आंदोलन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि मध्यप्रांत में स्थित गाँधीजी का सेवाग्रह आवश्यक समूह भारत के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा था। सत्यग्रह के तमाम विश-निर्देश यहीं से जारी किये जाते थे तथा सत्याग्रहियों की सूचियों को अंतिम स्वीकृति यहीं से गाँधीजी द्वारा दी जाती थी। यहाँ से गाँधीजी ने अपने पहले और दूसरे सत्याग्रही को सत्यग्रह की अनुमति दी थी। निश्चित ही गाँधीजी की मध्यप्रांत में उपस्थिति से इस प्रांत में व्यक्तिगत सत्यग्रह काफी प्रभावशाली था। प्रांत के सभी पूर्ववंशीय, विधायकों, कांग्रेस के सदस्यों, विला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों तथा साधारण व्यक्तियों की भागीदारी इस सत्यग्रह में काफी बड़े पैमाने पर रही। व्यक्तिगत सत्यग्रह में व्यापारी, बकिल, समाजसेवक तथा शिक्षक जो कांग्रेस के सदस्य थे, इन्होंने व्यक्तिगत सत्यग्रह में भाग लिया। शहीद क्षेत्रों में कुछ महिलाओं ने उन्हें जबलपुर की विभागिक श्रीमती सुभाषकुमारी चौहान तथा अकोला की समाज सेविका श्रीमती प्रमिताजॉय का योगदान सराहनीय था। व्यक्तिगत सत्यग्रह के दूसरे चरण में ग्रामीण महिलाओं भी आंदोलन में सक्रिय भाग लेती रहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यग्रह करने वाले अधिकतर कृषक
ही थे, जो एक गाँव से दूसरे गाँव तक पैदल यात्रा कर युद्धविरोधी प्रचार करते थे। शासन द्वारा समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिये जाने के बाक्सूट नागपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा ‘चलातापिता समाचार पत्र’ का क्रियान्वयन एक प्रशासनीय कार्य था।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन था, जिसने वर्ष 1940 तथा 1941 में समाज के विभिन्न तबके के लोगों को प्रभावित किया। चूंकि मध्यप्रांत की राजनीति पर प्रारंभ से ही गाँधीवादी प्रभाव था, अतः गाँधी जी के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन को काफी जनसमर्थन प्राप्त हुआ। पूरे प्रदेश में कांग्रेस से संबंधित लोगों ने इस आंदोलन में भाग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयास किया। यह गाँधी जी का प्रभाव ही था जो कि किसी भी स्तर पर यह आंदोलन अहिंसक मार्ग से भटक नहीं सका। यद्यपि कांग्रेस के अतिरिक्त मध्यप्रांत की राजनीति में उन दिनों फारवर्ड ब्लाक तथा हिन्दुस्तानी लाल सेना के कार्यकर्ता सक्रिय होकर लोगों को हिंसात्मक गतिविधियों के लिये तैयार करने का प्रयास करते थे, फिर भी लोग गाँधीजी के प्रभाव में रहकर, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करते थे। सरकार द्वारा गिरफ्तार किये जाने तथा जेलों में उन्हें उचित वर्ग न मिलने पर भी इनके द्वारा कभी इसका प्रतिकार नहीं किया गया। ये ऐसे तथ्य है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में मध्यप्रांत के महत्व को स्थापित करते हैं। सामान्यतः तनाव के बावजूद भी मध्यप्रांत में आंदोलन का इतने दिनों तक संचालित किया जाना सचमुच सराहनीय था। इस आंदोलन की बागडोर गाँधीजी के हाथों में होने से उनके प्रति समर्पण की भावना लोगों में दृष्टिगोचर हो रही थी। जमनालाल बजाज तथा पूर्वमध्य राज्य के जैसे उद्योगपतियों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के साधारण किसान तक समाज के हर तबके के लोग इस आंदोलन में उत्कृष्ट सक्रिय रहे यह इस आंदोलन की एक विशेषता थी। अंत में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ने भविष्य में होने वाले 1942 के भारत छोड़े आंदोलन के लिए राजनीतिक जागरण की एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके आधार पर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्वाधीनता संग्रह प्रारंभ हुआ था।